## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला-अजमेर

क्रमांक / राजस्व / प्रशा.गा.सं.2021 केम्प कालेडा कंवरजी / 2021 / 　　　　दिनांक

प्रकरण संख्या 2 / 2018 (2018 / 00048)

उनवान

लादू पुत्र भीवड़ा लोधा निवासी कालेडा कंवर जी तह.सावर

बनाम

1. रामचरण पुत्र मांगीलाल लोधा
2. रामभरोस पुत्र मांगीलाल लोधा
3. रामकृपाल पुत्र मांगीलाल लोधा समस्त निवासीगण कालेडा कंवर जी तह.सावर
4. गोपाल पुत्र भूरा
5. महावीर पुत्र भूरा
6. सूरजी पुत्र भूरा
7. भैरू पुत्र लालू
8. छोटी पत्नि मूलचन्द
9. राधेश्याम पुत्र मूलचन्द
10. सोदरा पुत्र मूलचन्द
11. रामस्वरूप पुत्रनाथू
12. शान्ति पत्नि भैरू
13. राजेन्द्र पुत्र भैरू
14. रामकुवार पुत्र भैरू
15. रजनीश पुत्र भैरू
16. राजकुमारी पुत्री भैरू
17. रामेश्वर पुत्र रामनारायण

समस्त जाति खाती निवासीगण कालेडा कंवर जी तह.सावर

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम**

**-:: आदेश ::-**

**दिनांक 11.10.2021**

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प कालेडा कंवर जी केम्प के दौरान प्रस्तुत की गई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालेडा कंवर जी के खसरा नम्बर 850 रकबा 0.07 है. में आने जाने हेतु कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 851 , 852, 853 और 854 में होकर आता जात है। अतः प्रार्थी को रास्ता दिलाया जावें। ताकि वह स्वयं की खातेदारी आराजी खसर नम्बर 850 रकबा 0.07 है. में आ जा सकें। प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण को पूर्व शिविर न्याय आपके द्वारा दिनांक 13.6.2018 को भी शिविर में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। किन्तु उपस्थित नहीं हुये।

तहसीलदार सावर से रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार सावर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के खेत से निकटतम कटानी रास्ता खसरा नम्बर 899, गै.मु. रास्ता है, के बाद खसरा नम्बर 851,852 की उत्तरी मेड से प्रार्थी के खसरा नम्बर 850 में पहुचने में आसानी है। प्रार्थी को खेत पर पहुच मार्ग दिया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 851 में से 16 X 4 मीटर = 64 वर्ग मीटर डी.एल.सी.दर 450846रूपये प्रति है. की दर से दुगनी राशि 5770/-रूपये , ख.न. 852 में से 16 X 4 मीटर = 64 डी.एल.सी.दर 450846 रूपये प्रति है. की दर से दुगनी राशि 5770/-रूपये भूमि रास्ते के रूप में तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तावित की गई है। पक्षकारों में आपसी सहमति नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत के खसर नम्बर 850 में आने जाने हेतु ख.न. 851, में से 4 मीटर चौडा व 16 मीटर लम्बा एवं ख.न. 852, में से 4 मीटर चौडा व 16 मीटर लम्बा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड [illegible] रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें, वर्तमान [illegible] खातेदारों को भुगतान करने की डी.एलसी.दर की दुगनी राशि प्रार्थी से प्राप्त कर ख.न. 851 [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करें। खर्चा कार्यवाही तहसीलदार सावर द्वारा की जावें। तहसीलदार [illegible] फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावों के संग [illegible] शिविर स्थल कालेडा कंवर जी में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:17:19 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली) 11/10/2021
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं शिविर प्रभारी केकडी,
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner